अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,दाउदनगर,औरंगाबाद।

ओबरा थाना कांड संख्या—61/2021

जी0आर0संख्या—244/2021

25—03—21 काराधीन आवेदक अभियुक्त नीतिश कुमार उर्फ नेपाली की ओर से विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन दाखिल करते हैं।

पुकार पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक अभियुक्त निम्न न्यायालय या उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त पर झूठा एवं बनावटी मुकदमा दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्त को दिनांक 22—03—21 को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। आवेदक अभियुक्त वाहन प्रदूषण जांच के नाम पर डरा—धमकाकर पैसा वसूल रहा था जो सरासर झूठा है। आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त को किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के खिलाफ भा0दं0वि0 की धारा 420,467,468,427,120 बी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि सूचक को सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा शंकरपुर एन.एच.139 रोड पर आने जाने वाली वाहनों से प्रदूषण जांच के नाम पर वाहनों के चालकों को डरा—धमका कर एवं जोर जवरदस्ती से पैसा वसूल कर फर्जी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया। थानाध्यक्ष महोदय ने जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचित करते हुए सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलम्ब निर्देशित किया । उसकी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जब कुछ सशस्त्र बल के साथ प्रस्थान किया तो पुलिस वाहन को आते देख चारों व्यक्ति इधर—उधर भागने का प्रयास करने लगे। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम नितीश कुमार उर्फ नेपाली बताया । तलाशी के कम में उसके दाएं हाथ में एक उजला रंग के प्लास्टिक के थैला से जप्ती सूची के अनुसार दो रसीद, दो मुहर,एक इंक पैड,एक लाल रंग का स्टीकर टेप तथा बारह हजार रुपया नगद बरामद हुआ। यह एक गंभीर किस्म का अपराध है। वाद का अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त नितीश कुमार उर्फ नेपाली का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

प्र0अनु0न्या0दण्डा0,दाउदनगर